

124

पत्रावली मूल वाद के साथ आज पेशी में तलब की गयी।
उभयपक्ष द्वारा मूल वाद में राजीनामा पेश किया जाकर
राजीनामा को स्वीकार किया जाकर निर्णय कर दिया गया
है। अतः उक्त शर्पना पत्र अस्पष्ट विवेचना को आगे
चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त प्रकरण
में जारी आदेश दिनांक 15/3/24 को अपास्त किया
जाता है। मूल प्रकरण खारिज किया जाकर की गई
कार्यवाही को अपास्त की जाती है। पत्रावली फाइल
शुभार होकर नम्बर से कम ली जाकर दफ्तर वापस लाई।

उप जिला
सवाई मा